संख्या-33/2015/1250/38-4-15-05(बजट)/2012-टी0सी0-।।।

प्रेषक,

उमा कान्त मिश्र,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक:23 सितम्बर, 2015**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि पर ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2015-16 के अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-27/956/38-4-15-05(बजट)/2012-टी0सी0-।।।, दिनांक-29-07-2015 के द्वारा धनराशि रू0-13,97,68,658.00 की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है, के क्रम में ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ का पत्र संख्या-102/ग्रा0आ0परि0-लो0आ0यो-1977/199, दिनांक-08-09-2015(छायाप्रति मयसंलग्न) के द्वारा प्रस्तावानुसार लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से वास्तविक रूप में प्राप्त ऋण की धनराशि रू0 659,54,18,243.00 के सापेक्ष दिनांक-01.07.2015 से 30.09.2015 तक की अवधि तक ब्याज की धनराशि रू0 **14,13,04,577.00** के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के ब्याज हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-80,00,00,000.00 में से धनराशि **रू0-14,13,04,577.00**(रूपये चौदह करोड़ तेरह लाख चार हजार पांच सौ सत्तहत्तर मात्र) हडको को ब्याज का भुगतान करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 में निहित प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु हडको से ली गयी धनराशि के सापेक्ष ऋण के भुगतान में व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से व्यय कर लिया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए हडको से लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-यू0ओ0-बी-4/124/दस-2015, दिनांक-23 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

संख्या-33/2015/1250(1)/38-4-2015, तद्वदिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।